



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 20 राँची, बुधवार

4 जून, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 493-514 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" — ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2025

सं०सं०-4/नि०सं०-12-85/2014 का.-2386--मो० आबिद हुसैन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-176/20,) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 03.12.2024 से 19.12.2024 तक (कुल 17 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

29 मई, 2025

सं०सं० :-निग० /सारा (पथ)-14-मुकदमा- 09-01/2020.....स्व० विद्यासागर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, राँची (सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं मृ० के विरुद्ध उनके उक्त पदस्थापन अवधि में वर्ष 2003-04 में उच्च विद्यालय, सोनाहातु परिसर, राँची में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन निर्माण के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सहपठित जापांक-2649 (एस) अनु०, दिनांक-18.05.2007 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43(बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी ।

(2) स्व० चौधरी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3441(एस), अनु०, दिनांक-16.05.2008 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भवन निर्माण के पूर्व निर्माण स्थल की जानकारी प्राप्त नहीं करने, विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-22.05.2005 का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

(3) संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए स्व० चौधरी से पत्रांक-4912 (एस) दिनांक-09.07.2008 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके कृत्य के कारण रु 039.08 लाख रुपये की लागत से बना छात्रावास भवन अनुपयोगी हो गया, इसलिए इस राशि का चौथाई भाग यानि रु 09.77 लाख की वसूली उनके सेवानिवृत्ति लाभ से तथा इस कृत्य के लिए 10% पेंशन की कटौती की जाय ।

(4) स्व० चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पत्रांक शून्य दिनांक-23.09.2009 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें वे आरोपों को अप्रमाणित करने में असफल रहे। स्व० चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई एवं उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उनके पेंशन से 10% राशि को स्थायी रूप से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

(5) उक्त दण्ड के विरुद्ध स्व० चौधरी द्वारा W.P.(S) No. 6621/2012 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-22.02.2023 को आदेश पारित किया गया। न्यायादेश दि० -22.02.2023 का Operative Part निम्नवत् है:-

“ Para 7. As a cumulative effect of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncement, the impugned order 12-11-2011 is not sustainable in the eyes of law and as such, same is hereby quashed and set aside. In view of the quashment of the impugned order, petitioner is entitled for all the consequential benefits.”

6) उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 23/2024 झारखण्ड राज्य बनाम तारा सिन्हा एवं अन्य दायर किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-15.04.2025 को पारित आदेश में Dismiss कर दिया गया है। न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है:-

"..... 7. Therefore, the action of the appellants cannot be sustained under Rule 43(b) of Bihar/Jharkhand Pension Rules invoked by the appellants and would not apply in the instant case as has rightly been held by the learned Single Judge. The respondent has already been exonerated by the Enquiry Officer and there is no pecuniary loss to the State Exchequer.

8. Therefore, we do not find any merit in the present appeal and the same is, accordingly, dismissed.

9. All pending applications, if any, shall stand disposed of."

अतएव वाद संख्या W.P.(S) No. 6621/2012 में पारित न्यायादेश दिनांक- 22.02.2023 के अनुपालन में स्व० चौधरी के विरुद्ध अधिसूचना संख्या -7434 (एस) सहपठित ज्ञापांक -7435 (एस) दिनांक-12.11.2011 द्वारा इनके पेंशन से 10 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोके जाने के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

आदेश

30 मई, 2025

संख्या-2/मु०स्था० (निबंधन)-30/2016-1481/रा-- श्रीमती श्वेता कुमारी, प्रभारी उप निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची-सह-निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को दिनांक-05.06.2025 से 30.06.2025 तक विदेश यात्रा हेतु कुल 26 (छब्बीस) दिनों का अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

रामेश्वर लेयांगी,

सरकार के उप सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 मई, 2025

संख्या-1/विविध-808/2006 का.- 2558-- विभागीय अधिसूचना संख्या-2290 दिनांक 22.04.2025 तथा शुद्धि पत्र संख्या-2346 दिनांक 24.04.2025 को रद्द करते हुए श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को-

- (क) निजी व्यय पर दिनांक 01.06.2025 से 06.06.2025 तक सिंगापुर (विदेश) की यात्रा की अनुमति के साथ-साथ दिनांक 01.06.2025 से 06.06.2025 तक Ex-India Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ख) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक कुल 05 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 01.06.2025 के साप्ताहिक अवकाश (Prefix) एवं दिनांक 07.06.2025 से 08.06.2025 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश (Suffix) तथा दिनांक 31.05.2025 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

09 मई, 2025

संख्या-10/सा०अव०-03-02/2024 का.- 2608-- वर्ष 2025 में बुद्ध पूर्णिमा के साथ दिनांक 12.05.2025 (सोमवार) को पंडित रघुनार्थ मुर्मू के जन्म दिवस के अवसर पर भी एन्फआई० एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है।

2. वर्ष 2025 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-6776 दिनांक-14.10.2024 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

06 मई, 2025

संख्या-1/ विविध-836/2015 का०-2546-- श्री भोर सिंह यादव भा.प्र.से. (झा:2014), निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-13(1) के तहत कुल 20 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले दिनांक-30.04.2025 से 09.05.2025 तक कुल 10 दिनों का रुपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**06 मई, 2025**

सं०सं०-4/नि०सं०-12-99/2015 का. 2516-- श्रीमती मोनिया लता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-310/20), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551 दिनांक 01.03.2007 एवं 907 दिनांक 01.07.2010 के आलोक में दिनांक 03.08.2024 से 29.01.2025 तक (कुल 180 दिन) का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**09 मई, 2025**

संख्या-1/विविध-846/2024 का०- 2613-- श्री अमल कृष्ण सत्यजीत, भा०प्र०से० अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1956 के नियम- 10, 11, 12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक-05.05.2025 से 16.05.2025 तक कुल 12 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक- 03.05.2025 से 04.05.2025 एवं दिनांक- 17.05.2025 से 18.05.2025 तक के साप्ताहिक अवकाश के उपभोग करने के साथ दिनांक 03.05.2025 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

09 मई, 2025

संख्या-1/विविध-808/2024 का०- 2614-- श्री ओम प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2021), संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम- 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक- 19.03.2025 से 30.03.2025 तक कुल 12 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANOJ KUMAR, VANSHIKA KUMARI (अन्य नाम PRINCY) का पिता, शपथ पत्र सं० 94, दिनांक 22 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VANSHIKA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

VANSHIKA KUMARI एवं PRINCY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL./MU. - JEILHATA, WARD NO. - 13,
P.O. & P.S. - MEDNINAGAR,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJAY BOSE, DEVANSHI BOSE (अन्य नाम DEVASHI BOSE) का पिता, शपथ पत्र सं० 625, दिनांक 11 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री DEVANSHI BOSE के नाम से जानी जायेगी।

DEVANSHI BOSE एवं DEVASHI BOSE दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - RLY QR NO. - E - 126/1,
R.E. COLONY,
P.O. & P.S. - CHAKRADHARPUR,
DIST. - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DRATO SETH अन्य नाम DARAT RAJAK पिता NATHO SETH, शपथ पत्र सं० 81, दिनांक 24 मार्च, 2025 के अनुसार DRATO SETH के नाम से जाना जाऊँगा।

DRATO SETH एवं DARAT RAJAK दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KARNAL MARKET,
BOKARO STEEL CITY,
P.O. & P.S. - MARAFARI,
BOKARO,
PIN - 827012
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KRISHNA ORAON, MANAN ORAON (अन्य नाम MONTI ORAON) का पिता, शपथ पत्र सं० 331, दिनांक 25 मार्च, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र MANAN ORAON के नाम से जाना जायेगा।

MANAN ORAON एवं MONTI ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - RELIGARA,
P.S. - GIDDI - A,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 829129
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DHANU KUMAR अन्य नाम ATUL KUMAR पिता NAND KISHORE MISHRA, शपथ पत्र सं० 52, दिनांक 7 मार्च, 2025 के अनुसार DHANU KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।
DHANU KUMAR एवं ATUL KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR PUNJAB NATIONAL BANK,
JORAR NAMKUM,
VTC - NAMKUM,
P.O. & P.S. - NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NEELAM KUMARI अन्य नाम RINKI KUMARI पिता Late KARTIK RAM पति ANIL KUMAR, शपथ पत्र सं० 211, दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के अनुसार NEELAM KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।
NEELAM KUMARI एवं RINKI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BIRSA NAGAR,
HULLUNG,
EAST SINGHBHUM,
PIN - 831004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, HARI RAVIDAS, ANKITA RANI (अन्य नाम MADHU KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ANKITA RANI के नाम से जानी जायेगी।

ANKITA RANI एवं MADHU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHENGDHARI,
P.O. - ATKI,
P.S. - PIRTAND,
DIST. - GIRIDIH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHEPO OROAN अन्य नाम CHEPOWA ORAON पिता Late BISU ORAON, शपथ पत्र सं० 207530, दिनांक 7 फ़रवरी, 2025 के अनुसार CHEPO OROAN के नाम से जाना जाऊँगा।

CHEPO OROAN एवं CHEPOWA ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - ULTI,
P.O. - GAJNI,
P.S. - KAIRO,
DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJU DEVI अन्य नाम SANGU DEVI पति JAGESHWAR MAHTO, शपथ पत्र सं० 323, दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसार SANJU DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SANJU DEVI एवं SANGU DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LETATAND, PEKA,
P.O. - BANGAIBERA,
P.S. - ANGARA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SACHIDA NAND MISHRA, HRITIK MISHRA (अन्य नाम NAITIK KUMAR MISHRA) का पिता, शपथ पत्र सं० 21, दिनांक 27 मार्च, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र HRITIK MISHRA के नाम से जाना जायेगा।

HRITIK MISHRA एवं NAITIK KUMAR MISHRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DHAMSAI,
P.O. - CHAPRI,
P.S. - PATHARGAMA,
DIST. - GODDA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUMITRA DEVI अन्य नाम SUMAN DEVI पति Late JALESHWAR RAJWAR, शपथ पत्र सं० 40, दिनांक 6 जनवरी, 2025 के अनुसार SUMITRA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।
SUMITRA DEVI एवं SUMAN DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 397, VILL. - ANGWALI (NORTH), ANGWALI,
RAJPUT TOLA,
P.O. - ANGWALI,
P.S. - PETARWAR, ANGWALI,
DIST. - BOKARO,
PIN - 825102
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RABINDRA SHARMA, SHITAL KUMARI (अन्य नाम SUPRIYA KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 55, दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHITAL KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

SHITAL KUMARI एवं SUPRIYA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PARSANWA,
P.O. & P.S. - PANKI, NAUDIHA,
PANKI, PALAMU,
PIN - 822122
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MADHU SHREE अन्य नाम KUMARI MADHUSHREE PRASAD एवं MADHU SHREE PRASAD पिता Late BENKTESHWAR PRASAD, शपथ पत्र सं० 457, दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के अनुसार MADHU SHREE के नाम से जानी जाऊँगी।

MADHU SHREE KUMARI, MADHUSHREE PRASAD एवं MADHU SHREE PRASAD तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - IIA YAMUNA SANGAM DHAM DEVI MANDAP ROAD,
AT NEAR AUROBINDO ASHRAM,
HESAL, RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANITA DEVI अन्य नाम LOVELY DEVI पति AJAY KUMAR, शपथ पत्र सं० 13, दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के अनुसार ANITA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

ANITA DEVI एवं LOVELY DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 83 B, ROAD NO. - 4,
GEETA COLONY, PREM NAGAR,
HATIA, NAMKUM, RANCHI,
PIN - 834003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AMIT SATYAM, SHRUTI JHA (अन्य नाम SHRUTI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 282, दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHRUTI JHA के नाम से जानी जायेगी ।

SHRUTI JHA एवं SHRUTI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - H.NO. - 71,
CROSS ROAD NO. - 05,
DAIGUTU, NEAR KALI MANDIR,
MANGO, JAMSHEDPUR,
PIN - 831012
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHAMPA DEVI अन्य नाम CHAMPAKALI DEVI पति RAMDULARE PAL, शपथ पत्र सं० 4652, दिनांक 25 मार्च, 2025 के अनुसार CHAMPA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

CHAMPA DEVI एवं CHAMPAKALI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - JOBRAIYA,
P.O. - NAWADA,
P.S. & DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANITA JHA अन्य नाम AMITA JHA पति AJIT KUMAR JHA, शपथ पत्र सं० 22113, दिनांक 24 मार्च, 2025 के अनुसार ANITA JHA के नाम से जानी जाऊँगी।

ANITA JHA एवं AMITA JHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PAREJ,
P.O. - BANJI,
P.S. - MANDU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MD. SANAWWAR ALAM अन्य नाम SANAULLAH पिता MD. IZHAR, शपथ पत्र सं० 543, दिनांक 26 मार्च, 2025 के अनुसार MD. SANAWWAR ALAM के नाम से जाना जाऊँगा।

MD. SANAWWAR ALAM एवं SANAULLAH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHAMROM, HARHAD KANDER,
P.S. - RAJRAPPA,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NEERAJ KUMAR SAHU अन्य नाम NIRAJ KUMAR SAHU पिता SHEO SHANKAR PRASAD SAHU, शपथ पत्र सं० 388, दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के अनुसार NEERAJ KUMAR SAHU के नाम से जाना जाऊँगा।

NEERAJ KUMAR SAHU एवं NIRAJ KUMAR SAHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - JYOTI SANGAM LANE,
MASZID LANE, UPPER BAZAR,
RANCHI, G.P.O.,
P.O. - RANCHI GPO,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, HARENDRA KUMAR अन्य नाम HARENDRA HARIJAN पिता KEDAR HARIJAN, शपथ पत्र सं० 130, दिनांक 3 फरवरी, 2025 के अनुसार HARENDRA KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

HARENDRA KUMAR एवं HARENDRA HARIJAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - D - 18 SHYAMLI COLONY,
DORANDA, RANCHI
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MIRJINA EKKA अन्य नाम BIRJINIYA TIRKEY पति AGASTUS TIRKEY, शपथ पत्र सं० 243, दिनांक 13 जनवरी, 2025 के अनुसार MIRJINA EKKA के नाम से जानी जाऊँगी।

MIRJINA EKKA एवं BIRJINIYA TIRKEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TILGA AMBATOLI,
P.O. - GARJA,
P.S. - SIMDEGA,
DIST. - SIMDEGA,
PIN - 835235
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GOBRA ORAON, SIVANI ORAON (अन्य नाम JHIBLI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 42, दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SIVANI ORAON के नाम से जानी जायेगी।

SIVANI ORAON एवं JHIBLI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - ATAKORA,
P.O. - MAHADEV CHEGRI,
P.S. - BHARNO,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835203
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUKRA KHARIA अन्य नाम SALIL BILUNG पिता Late PUNA KHARIA, शपथ पत्र सं० 69, दिनांक 23 जनवरी, 2025 के अनुसार SUKRA KHARIA के नाम से जाना जाऊँगा।

SUKRA KHARIA एवं SALIL BILUNG दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - GURMA TANGRA TOLI,
P.S. - PALKOT, KOLANG,
GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHITAL DEVI, ARUSHI KUMARI (अन्य नाम ANUSHI KUMARI) की माता, शपथ पत्र सं० 04, दिनांक 15 फ़रवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ARUSHI KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

ARUSHI KUMARI एवं ANUSHI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SERENGBERA BASTI (NEAR SHIV MANDIR),
CHHOTA GOVINDPUR,
P.O. - G.H. COLONY,
P.S. - GOVINDPUR, TOWN JAMSHEDPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
PIN - 831015
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SURESH ORAON अन्य नाम CHRWA ORAON पिता Late BASU ORAON, शपथ पत्र सं० 675/2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 के अनुसार SURESH ORAON के नाम से जाना जाऊँगा।

SURESH ORAON एवं CHRWA ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MOKRO, HURKU TOLI,
P.O. - NAWADIH
P.S. - GUMLA
JHARKHAND
